प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 770/2007

अपीलार्थीगण **निवास दास एवं अन्य**

विरुद्ध

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़** राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 31.08.2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 770/2007

अपीलार्थीगण निवास दास एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थीगण की ओर से – श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से – श्री डी के ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(31.08.2012)

यह अपील विशेष न्यायाधीश, कांकेर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 2/2006 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.8.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) तथा अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 एवं 3 को धारा 20(ख)(ii)(ग) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 एवं 3 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रूपये के अर्थदंड एवं व्यतिक्रम सशर्त से दंडित किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.05.2006 को पी.सी. श्रीवास्तव (अ.सा.-3) को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जगदलपुर से आने वाली पायल ट्रेवल्स की बस, जिसका

पंजीयन क्रमांक CG-07-E1600 है, में अभियुक्त/अपीलार्थी विनिषिद्ध पदार्थ लेकर रायपुर जा रहे हैं। इस सूचना को रोजनामचा सानहा क्रमांक 1699 में लिखित रूप में दर्ज किया गया तथा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई। इसके बाद पुलिस दल कुलगांव टर्निंग, कांकेर, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के लिए रवाना हुआ। मापतौल उपकरणों का भौतिक सत्यापन प्र.पी.-2 के माध्यम से किया गया और पुलिस दल बस की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बस आने पर उसे रोका गया और चालक को सूचना दी गई। अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम बताए तथा बताया कि वे मलकानगिरी जिला (उड़ीसा) के निवासी हैं। उन्हें राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी के अधिकार की जानकारी प्र.पी.-19 के माध्यम से दी गई। अभियुक्तों द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा पुलिस दल ने अपनी स्वयं की तलाशी प्र.पी.-22 से पी.-24 के माध्यम से दी। तीन प्लास्टिक की थैलियों में विनिषिद्ध पदार्थ पाया गया, जिसका तौल किया गया। तौल में अपीलार्थी क्रमांक 1 निवास दास से 19.950 किलोग्राम विनिषिद्ध पदार्थ प्र.पी.-14 के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 नरेश दास से 20.550 किलोग्राम विनिषिद्ध पदार्थ प्र.पी.-16 के माध्यम से तथा अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 निमल दास से 20 किलोग्राम विनिषिद्ध पदार्थ प्र.पी.-15 के माध्यम से जप्त किया गया। जप्त सामग्री को सूंघकर विनिषिद्ध पदार्थ होने की पुष्टि की गई और प्र.पी.-29 से पी.-31 के माध्यम से पंचनामा तैयार किया गया। तौल उपकरणों का भौतिक सत्यापन प्र.पी.-32 एवं पी.-33 के माध्यम से किया गया तथा तौल पंचनामा प्र.पी.-34 से पी.-36 के तहत तैयार किया गया। नमूने प्र.पी.-37 से पी.-39 के माध्यम से लिए गए। सील पंचनामा तैयार किया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-7 दर्ज की गई तथा अभियुक्त/अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया। समस्त सूचना प्र.पी.-17 के माध्यम से एसडीओ (पी) को प्रेषित की गई। दिनांक 25.05.2006 को सील नमूने परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्र.पी.-43 के माध्यम से भेजे गए, जिसकी प्राप्ति रसीद प्र.पी.-44 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्र.पी.-46 दिनांक 11.07.2006 को प्राप्त हुई, जिसमें नमूने सकारात्मक (विनिषिद्ध पदार्थ) पाए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गए। विवेचन पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 31.07.2006 को अधिनियम की धारा 20-ख के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 05 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

5. अभियुक्त/अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क है कि विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त/अपीलार्थियों के विशेष एवं सचेत कब्जे से बरामद नहीं हुआ, बल्कि बस के अंदर से जप्त किया गया था। चूँकि बस में अनेक यात्री यात्रा कर रहे थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अभियुक्त/अपीलार्थियों का ही था। उनका यह भी तर्क है कि अधिनियम की धारा 42, 55 एवं 57 का पालन नहीं किया गया है तथा जप्त सामग्री को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जप्ती साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और मालखाना मोहिर्रिर का भी परीक्षण नहीं कराया गया। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 24.05.2006 से जेल में निरुद्ध हैं, अतः उनके दंड को घटाकर अब तक भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त/अपीलार्थियों के विशेष एवं सचेत कब्जे से जप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं होती, क्योंकि गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस दल मौके पर पहुँचा और एक सार्वजनिक बस से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया। उनके अनुसार इस मामले में धारा 43 लागू होती है, न कि धारा 42, जैसा कि अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में यह धारा 42 के पूर्ण अनुपालन

के अभाव का मामला नहीं है। प्र.पी.-1 के माध्यम से प्राप्त गुप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया गया तथा प्र.पी.-4 के माध्यम से विशेष वाहक द्वारा उसे वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया और प्र.पी.-5 उसका अनुपालन प्रतिवेदन है। उन्होंने आगे कहा कि प्र.पी.-17 के अनुसार एसडीओ (पी) के रीडर ने रसीद देकर इस तथ्य की पुष्टि की है कि भेजी गई सूचना उसी दिन एसडीओ (पी) के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बस की तलाशी पंचनामा प्र.पी.-18 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विनिषिद्ध पदार्थ पीछे की सीट के खाली स्थान के सामने स्थित खुले स्थान से बरामद किया गया। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार बरामदगी पंचनामा प्र.पी.-26, पी.-27 एवं पी.-28 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.-14, पी.-15 एवं पी.-16 से यह स्पष्ट होता है कि विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त/अपीलार्थियों के सचेत कब्जे से जप्त किया गया। एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा सचेत कब्जा सिद्ध कर दिए जाने पर उसे खंडित करने का दायित्व अभियुक्त/अपीलार्थियों पर होता है कि वे यह दर्शाएँ कि उक्त पदार्थ उनके सचेत कब्जे से जप्त नहीं किया गया था, किंतु वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार वर्तमान प्रकरण में प्राप्त गुप्त सूचना अत्यंत विशिष्ट थी, जिसमें यहाँ तक बताया गया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी बस की किस सीट पर बैठे थे। अतः भले ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित न हो कि विनिषिद्ध पदार्थ किस स्थान से जप्त किया गया, परंतु संपूर्ण साक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वही अभियुक्त/अपीलार्थी उसके सचेत कब्जे में थे। अपने तर्क के समर्थन में राज्य के विद्वान अधिवक्त ने **मदन लाल एवं एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 7 एससीसी 465**, **धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010) 9 एससीसी 608, हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह एवं अन्य एआईआर 2004 एससी 2491 और भारत संघ बनाम मेजर सिंह एवं अन्य (2006) 9 एससीसी 170** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया। इसके अलावा, **पंजाब राज्य बनाम निर्मल सिंह (2009) 12 एससीसी 205** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल विवेचना अधिकारी का कथन भी अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

8. पी.सी. श्रीवास्तव (अ.सा.-3) — विवेचना अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 24.05.2006 को उन्हें दूरभाष द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पायल ट्रांसपोर्ट की बस क्रमांक CG-07-F-1600, जो जगदलपुर से आ रही थी, उसकी दाहिनी ओर की दूसरी अंतिम सीट पर निवास दास बंगाली, नरेश दास बंगाली तथा निमाई दास बंगाली, निवासी ग्राम कालीबेड़ा, जिला मलकानगिरी, यात्रा कर रहे हैं और वे तीन थैलों में भरा हुआ विनिषिद्ध पदार्थ लेकर बिक्री हेतु रायपुर जा रहे हैं। उक्त गुप्त सूचना प्र.पी.-1 को रोजनामचा सानहा क्रमांक 1699 में लिखित रूप में दर्ज किया गया। इस साक्षी के अनुसार यह औपचारिकता मुख्य आरक्षक मेर सिंह टेकाम तथा आरक्षक अनिल कुमार (अ.सा.-1) की उपस्थिति में पूरी की गई। इसके बाद उसी दिन आरक्षक रॉबिन लकड़ा के माध्यम से यह सूचना एसडीओ (पी) को भेजी गई तथा इस संबंध में प्रविष्टि रोजनामचा सानहा प्र.पी.-4 में की गई। उक्त आरक्षक एसडीओ (पी) को सूचना देने के बाद वापस आया और इस संबंध में भी प्रविष्टि रोजनामचा सानहा प्र.पी.-5 में की गई। इस साक्षी के अनुसार, मामले की अति-आवश्यकता को देखते हुए बिना वारंट प्राप्त किए ही उसने अपने कर्मचारी को छापे के लिए तैयार किया, तराजू और बाट की व्यवस्था की और उक्त बस की प्रतीक्षा करने लगा। बस के वहाँ पहुँचने पर चालक और परिचालक के नाम दर्ज किए गए। पुलिस दल बस में चढ़ा और दूसरी अंतिम सीट पर बैठे व्यक्तियों के पास गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त/अपीलार्थियों ने अपने नाम एवं पता बताया। उन्हें तलाशी के अधिकार के संबंध में अवगत कराया गया तथा उनकी सहमति प्राप्त करने और पुलिस दल की व्यक्तिगत तलाशी देने के पश्चात पृथक-पृथक पंचनामे तैयार किए गए। अभियुक्त/अपीलार्थी निवास दास बंगाली के कब्जे से हरे रंग की प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ विनिषिद्ध पदार्थ जप्त किया गया। उसे मिलाकर (होमोजेनाइज कर) तौल करने पर तीन पैकेटों में क्रमशः 6 किग्रा., 8.550 किग्रा. और 5.500 किग्रा., कुल 19.950 किग्रा. विनिषिद्ध पदार्थ पाया गया। इसके बाद प्रत्येक से 50-50 ग्राम के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने के लिए सुरक्षित किए गए। इसी प्रकार तलाशी लेने पर अभियुक्त निमाई दास बंगाली के कब्जे से प्लास्टिक की थैली में रखे हुए दो पैकेट विनिषिद्ध पदार्थ मिले। उसे मिलाकर तौल करने पर उसका वजन 11 किलोग्राम पाया गया और उससे भी 50-50 ग्राम के नमूने परीक्षण हेतु लिए गए। इसी प्रकार तलाशी के दौरान अभियुक्त नरेश दास बंगाली के कब्जे से प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ विनिषिद्ध पदार्थ मिला। उसे मिलाकर तौल करने पर उसका वजन क्रमशः 11.950 किग्रा. तथा 8.600 किग्रा., कुल 20.500 किग्रा. पाया गया और उससे भी 50-50 ग्राम के नमूने परीक्षण हेतु लिए गए। इसके बाद इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थियों को **स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम** की धारा 20(ख) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जप्त विनिषिद्ध पदार्थ मालखाना में जमा किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-7 दर्ज की गई। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह बस में नहीं चढ़ा था या कि परिचालक ने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी सुकमा से बस में चढ़े थे और टिकट पूछने पर कहा गया कि वह खो गया है। इस साक्षी के अनुसार अनावश्यक समझते हुए टिकट बुक जप्त नहीं की गई। उसने आगे यह भी कहा कि विनिषिद्ध पदार्थ बस के ओवरहेड रैक में रखा हुआ था। आरक्षक अनिल कुमार चंद्रवंशी (अ.सा.-1) ने कहा कि थाने में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बस क्रमांक CG-07-F/1600 में कुछ व्यक्ति विनिषिद्ध पदार्थ लेकर यात्रा कर रहे हैं और इस सूचना को प्र.पी.-1 के माध्यम से लिखित रूप में दर्ज किया गया। मोहम्मद हुसैन (अ.सा.-2) तौल के साक्षी हैं, परंतु उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। सतनाम सिंह (अ.सा.-4), जो बस के चालक हैं, ने कहा कि घटना के दिन उनकी बस को पुलिस ने रोका और तलाशी लेने पर अभियुक्त निवास दास के कब्जे से प्लास्टिक की थैली में रखे 5.55 किग्रा., 8.45 किग्रा. और 6.00 किग्रा. विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी जप्ती प्र.पी.-14 के माध्यम से की गई तथा प्रत्येक के 50-50 ग्राम के दो नमूने लिए गए। इसी प्रकार अभियुक्त निमाई दास से 9 किग्रा. तथा 11 किग्रा. विनिषिद्ध पदार्थ प्र.पी.-15 के माध्यम से जप्त किया गया और उसके भी 50-50 ग्राम के दो नमूने लिए गए। इसी प्रकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्त नरेश दास से 11.950 किग्रा. तथा 8.600 किग्रा. विनिषिद्ध पदार्थ प्र.पी.-16 के माध्यम से जप्त किया गया और उसके भी 50-50 ग्राम के दो नमूने लिए गए। अभियुक्त/अपीलार्थियों की तलाशी से पूर्व बस की तलाशी का पंचनामा प्र.पी.-18 तैयार किया गया। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तों की तलाशी लेने से पहले उनकी सहमति प्राप्त की गई थी। उसने प्र.पी.-19 से पी.-21 तथा पी.-23 से पी.-36 पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उस बस में 25-30 यात्री यात्रा कर रहे थे तथा पुलिस ने उससे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं लिए। बसंत गजपाल (अ.सा.-5) वह साक्षी हैं जिन्होंने मालखाना से संबंधित प्रविष्टियों को प्रमाणित किया है।

9. साक्ष्यों के सूक्ष्म विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.08.2007 को अभियुक्त/अपीलार्थी विनिषिद्ध पदार्थ के कब्जे में पाए गए थे, जिसे प्र.पी.-14 से P-16 के माध्यम से जप्त किया गया। यद्यपि जप्ती पंचनामा प्र.पी.-14 से P-16 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि विनिषिद्ध पदार्थ ठीक किस स्थान पर रखा हुआ था, किंतु अन्य साक्ष्यों जैसे कि बस की तलाशी पंचनामा प्र.पी.-18 तथा विवेचना अधिकारी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त/अपीलार्थियों के कब्जे से ही जप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, जप्ती पत्रकों से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ किस प्रकार प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया था और समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात उसे जप्त किया गया। जप्ती पत्रक प्र.पी.-14 से P-16 पर अभियुक्त/अपीलार्थियों ने बिना किसी आपत्ति के हस्ताक्षर भी किए हैं। अतः इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलार्थियों के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं प्रतीत होता कि अभियोजन पक्ष द्वारा सचेत कब्जा सिद्ध नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण में प्राप्त गुप्त सूचना प्र.पी.-1 अत्यंत विशिष्ट थी, जिसमें न केवल बस का क्रमांक तथा अभियुक्त/अपीलार्थियों के नाम उल्लेखित थे, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वे कालीबेड़ा, मलकानगिरी के निवासी हैं, बस की पीछे की सीट के पास बैठे हुए हैं तथा तीन थैलों में विनिषिद्ध पदार्थ लेकर यात्रा कर रहे हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थियों से पूछताछ की गई और उनके नाम बताए जाने पर उनके कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ जप्त किया गया। यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ऐसा मामला नहीं है जिसमें गुप्त सूचना अपूर्ण हो, बल्कि यह एक स्पष्ट एवं निश्चित सूचना थी, जिसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थियों से पूछताछ की गई और उनके प्रकटीकरण के पश्चात विनिषिद्ध पदार्थ की जप्ती की गई। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने पर यह स्थापित होता है कि जप्त किया गया विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त/अपीलार्थियों के सचेत कब्जे में था। इसके अतिरिक्त, विवेचना अधिकारी से वस्तुओं के कब्जे के संबंध में विधि के अनुसार अपेक्षित प्रश्न भी नहीं किए गए। अतः इस न्यायालय को अपीलार्थियों के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं प्रतीत होता कि अधिनियम की धारा 42 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, क्योंकि गुप्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसे प्र.पी.-1 के माध्यम से लिखित रूप में दर्ज किया गया, उसे वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया और उसके बाद पुलिस दल मौके पर पहुँचा। इसी प्रकार, अपीलार्थियों के अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि जप्त विनिषिद्ध पदार्थ को विचारण के समय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण संपूर्ण विचारण ही त्रुटिपूर्ण हो गया है। केवल जप्त विनिषिद्ध पदार्थ का न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना पूरे विचारण को दूषित नहीं करता, क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि ऐसा न करने से उन्हें क्या हानि या पूर्वाग्रह हुआ है, विशेषकर जब यह तथ्य विदित है कि विनिषिद्ध पदार्थ जप्त करने के बाद उसके नमूने लिए गए, उन पर विधिवत सील लगाई गई और नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते समय सील का नमूना भी संलग्न किया गया। साथ ही, इस संबंध में विवेचना अधिकारी से भी अपीलार्थियों की ओर से कोई प्रश्न नहीं किया गया। अन्यथा भी यह धारा 42 के पूर्ण अनुपालन के अभाव का मामला नहीं है, क्योंकि प्र.पी.-1 के माध्यम से प्राप्त अत्यंत विशिष्ट गुप्त सूचना—जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा कब्जा की गई सीट का स्थान तक उल्लेखित था—को लिखित रूप में दर्ज किया गया, उसे प्र.पी.-4 के माध्यम से विशेष वाहक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया तथा प्र.पी.-5 उसका अनुपालन प्रतिवेदन है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि प्र.पी.-17 के अनुसार एसडीओ (पी) के रीडर ने रसीद देकर यह पुष्टि की है कि भेजी गई सूचना उसी दिन एसडीओ (पी) के कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने संबंधी निष्कर्ष, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, विधि के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप हैं तथा उनमें कोई त्रुटि या दुर्बलता नहीं है। अतः यह अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से ही जेल में निरुद्ध हैं, इसलिए उनके समर्पण आदि के संबंध में कोई पृथक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Vijay Kumar Sahu, Advocate